

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा
हुंमरता बनाम छोटूराम आदि

किरम मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 89/17.10.22 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	माफा व लॉर्ड फर्द प्रवणन की हुका की मदीन हम हुका
------------	---------------------------------	---

17-10-22 प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री कृष्ण मर्म के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मांगला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा क रोही मौजा 5 जेएसएल के खाता सं० 15/8 के मु०न० 118 के किला न० 6, 7/2, 13/2, 14 ता 17, 18/2, 19/2, 23/2, मु०न० 123 के किला न० 1/2, 2/3, 10/2, मु०न० 124 के किला न० 15/2 16/2, 17/2, 24/2, 25 की कुल 3.3260 हे० खातेदारी में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करते हुए अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्रार डाक से करवायी जाकर रसीदें 3 दिवस में पेश की जावें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो अरसालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें। पत्रावली चारते तालवी दिनांक 03.11.22 को पेश हो।

03-11-22

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमान गढ़)

9/11/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी...
दिनांक 13/11/23 को पेश हो

~~16/23 पत्रावली उपवास व वारण उरजा पेश
हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली
अपुष्टी की वकली हेतु दिनांक 15/3/23
को पेश हो~~

15/03/23 पत्रावली पेश हुई वार सधं का
वकल स्थगित है। मत आदेशानुसार
पत्रावली दिनांक 11/05/23 को पेश हो

11/05/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी...
दिनांक 19/6/23 को पेश हो।

9/06/23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली
वास्तो तालवी अपुष्टीगण। दिनांक 07/08/23 को
पेश हो



16/5/25 ~~प्राथमिकी मेष हुर्द~~ ~~विनांक 25/10/22 का मेष~~ ~~हुर्द~~

28/25 नकील उर्दी अनुपरिषद । उर्दीपरिषद
स्वयं अनुपरिषद । युंकि छार्फना-घर
212/12111 से संकथित मूल कांड
का निस्तारण किया गया युंकि
इसलिए प्रार्थना-घर स्वयं ही
अंग्रिकीन होते के कारण
परावली के दिनांक 17.10.22 को
जारी अर्धार्थ निवेद्याज्ञा के निस्तारण
करते हुए वर्तमान स्तर पर
खारिज किया गया है।
परावली नुस्खा इस काम का
जो मूल कांड नुस्खा के द्वारा
दफ्तार है।

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा(जिला-हनुमानगढ़)
(KALPIT SHEKRAM)